न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 80/2026 (GCMS C.N. 2026/105)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1. मदन सिंह पुत्र बंशी सिंह तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

अति. जिला कलक्टर • भीलवाड़ा (राज.) •

निर्णय

दिनांक 09/04/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रशासन गांवो के सग अभियान 2021 के दौरान आवंटन सलाहकार समिति, तहसील करेडा के द्वारा दिनांक **30.11.2021** को ग्राम **कुंवार** प०ह० **मोटा का खेडा** के आराजी न० **809/786** रकबा **4.6286 है0** भूमि में से **0.2529 है0** भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम के तहत कृषि कार्य के लिए नियम शर्तो पर अप्रार्थी को आवंटन किया गया जिसका अमल दरामद नहीं हुआ/नां.स. **696** दिनांक **08.11.2023** से राजस्व अभिलेख में किए जाने से अप्रार्थी गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। नकल जमाबंदी संलग्न अनुसार उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आराजी न. **1031/809** रकबा **0.2529 है०** किस्म **बंजड** से अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है/आवंटन आदेश अनुसार रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है। वर्णित भूमि का स्थल निरीक्षण पटवारी के द्वारा किया गया मौका स्थिति अनुसार उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी द्वारा आवंटित पूर्ण क्षेत्र को काश्त योग्य नहीं बनाया गया है जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है, मौका पर्चा की प्रति संलग्न है। कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम के तहत आवंटित भूमि में से 50 प्रतिशत भू–भाग आवंटन के प्रथम वर्ष में तथा शेष भाग द्वितीय वर्ष में कृषि योग्य बनाया जाकर काश्त किया जाना अनिवार्य है, जबकि अप्रार्थी द्वारा आवंटन दिनांक से अब तक उक्त आवंटित भूमि को आवंटन प्रयोजन अनुसार काबिल नहीं बनाया गया है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। आनलाईन खसरा गिरदावरी अनुसार सम्पूर्ण आराजी भूमि पर फसल काश्त अंकन बताया गया जबकि मौके पर भूमि फसल काश्त किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। वर्णित अप्रार्थी को किए गए आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड कराया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विभागीय पेरोकार द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन

9.4.26

अति. जिला कलक्टर

भीलवाड़ा

को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यों हेतु उपयोग में नही ली गई थी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) **स्वीकार** योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का **स्वीकार** कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम **कुंवार** पटवार हल्का **मोटा का खेड़ा** तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की **आ.न. 1031/809** रकबा **0.2529 है०.** भूमि आवंटन को **खारिज** किया जाता हैं एवं तहसीलदार करेड़ा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ.न की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार करेड़ा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **09.04.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.4.26
(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा